# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 48/2012

**वादीः—**

1. श्री दलपतसिंह पुत्र श्री छतरसिंह
   जाति राजपुत, निवासी मण्डली खुर्द
   तहसील पाली जिला पाली (राज.)

**बनाम प्रतिवादीगणः—**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली

उपस्थितिः—

1. श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी।
2. सरकारी पैराकार श्री ओमप्रकाश दाधिच, नायब तहसीलदार पाली।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

**—:आदेशः—**

दिनांक - 21-10-2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेण्डा तहसील पाली के खसरा नम्बर 462 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी भुमी का भु—आवटन भुमिधारी तहसीलदार पाली ने वादी के पक्ष मे तारीख 07.05.1963 को किया है ब से बतौर ऐलाटी वादी काबिज है एवं इसका उपयोग व उपभोग बतौर आवंटी वादी कर रहा है तथा आज भी वादी इस भुमि पर काबिज है व काश्त कर रहा है जिस भुमि को आगे इस दावे में वादग्रस्त कृषि भुमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भुमि का उपयोग उपभोग पिछले करीब 45 वर्षो से बिना किसी अड़चन व व्यवधान के एवं शांतिपूर्ण ढंग से काश्त कर रहा है। मौके पर आज भी वादी ने ज्वार की फसल बो रखी है। वादग्रस्त कृषि भुमि को भुमिधारी तहसीलदार ने निरस्त कराने का आवेदन अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहा पेश किया था जो गलत तौर परवादी का आवंटन तारीख 08.02.1982 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी द्वितीय जोधपुर के द्वारा अपील की जो अपील संख्या 15/91 दर्ज होकर तारीख 30.01.1993 को निर्णित हुई। जिसमे यह सवाल स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख किया गया है कि आवंटन आदेश मूल रूप से शुन्य नही है तथा आवटंन के पश्चात अपीलांट (वादी) द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने के कारण अपीलांट को खातेदारी अधिकार स्वयं तहसीलदार द्वार दिये गये है एवं इतने लम्बे समय बाद उक्त आवंटन को पेश करना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। यह कहते हुये अपीलांट की अपील स्वीकार की ओर अपीलध्नि आदेश निरस्त किया ऐसी सुरत मे वादी अपीलांट की खातेदारी रेकर्ड मे दर्ज नहीं करने का प्रतिवादी तहसीलदार के पास कोई आधार नहीं है।

वादी ने कोई कई मर्तबा उक्त आदेश की पालना कराने हेतु तहसीलदार जी पाली, हल्का पटवारी डेन्डा व उपखण्ड अधिकारी पाली को एंव प्रशासन गॉवो के संग मे राजस्व शिविर मे भी निवेदन किया लेकिन केवल आवेदनो पर नियमानुसार कार्यवाही करे मे टिप्पणी करके यह आदेश कागजो मे ही रह गये है। जिस पर मजबुर होकर प्रतिवादी के विरूद्ध उक्त दावा खातेदारी लेने का वादी को दावा पेश करने की नौबत आई है। दिनांक 13.08.2008 को हल्का पटवारी डेन्डा ने वादी को यह कहा कि या तो कोई स्थगन आदेश लोकर दे दो वरना फसल कुर्क करने एवं बेदखली हेतु प्रतिवादी तहसीलदार जी को कार्यवाही करने के लिये लिखना पड़ेगा हो सकता है कि उक्त भुमि सिवाय चक होने से भु—आवटंन समिति के समक्ष आवंटन हेतु आधिपत्य विहिन भुमी की सूची मे सम्मिलित हो सकते हो इसलिये पहले ही अपनी कार्यवाही कर लो जिस पर उक्त भुमि खातेदारी उद्घोषणा एवं वादग्रस्त भुमि की फसल निलामी एवं बेदखली की कार्यवाही नहीं करे न ही अन्य से करावे जिस हेतु स्थाई व्यादेश का उक्त वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से भुमिधारी तहसीलदार पाली है जो राज्य सरकार की ओर से अधिकारी है जिसके विरूद्ध दावा

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

पेश करने से पहले नोटिस देने का कानूनी प्रावधान है चुंकि हल्का पटवारी ने खरीब की फसल जो वादी के ज्वार की फसल बोई हुई है जिसको निलाम व कुर्क करने, भुमि से बेदखल करने तथा अन्य को भी आवंटन समिति के समक्ष यह भुमि का मामला रखा जा सकता है। जिस पर इस तरही की ऐलानिया धमकिया से वादी को अपने 45 वर्षो से अधिक समय से कब्जे एवं आवंटन सुदा भुमि के वैधानिक हको से महरूम होने का खतरा पैदा हुआ है।

जिस पर वादी प्रतिवादी के विरूद्ध मामले की आवश्यक एवं आकस्मिक परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुये बिना नोटिस दिये धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध दावा पेश करने का अलग से आवेदन किया गया है। वाद का करण बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के तब पैदा हुआ जब वादग्रस्तभुमि का भु आवंटन वादी के पक्ष मे वादी 7.05.63 को करके कब्जा वादी को सौपा तथा तारीख 30.01.93 को राजस्व अपील अधिकारी ने विधिवत वादी के आवंटन को कायम रखा है इसके उपरान्त भी वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी ने बतौर खातेदार कृषक के तौर पर नाम वादी का दर्ज नहीं किया अलग अलग से आवेदन किये। कोई सुनवाई नहीं की ओर अब फसल कुर्क होने व अन्य को यह भुमि आवंटन हो सकती है इस तरह की देने से वादी को उक्त मजबुरन विरूद्ध प्रतिवादी के पेश करने की नौबत आई। ग्राम डेण्डा तहसील पाली के खसरा नम्बर 462 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी की कृषि भुमि वादी के नाम खातेदारी कृषक दर्ज करने की उद्घोषणा करावे तथा सिवाय चक कृषक के तौर पर राजस्व अभिलेख मे प्रविष्ठ करने की डिक्री प्रदान करावें तथा अन्य अनुतोष उचित वादी को प्रदान करायें।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेण्डा के खसरा नम्बर 462/1729 रकबा 15 बिघा भुमि किस्म B III लगान 3.75 रूपये वादी के नाम दिनांक 07.08.1963 को जरिए ना.सं. 58 दर्ज किया गया। वाद ग्रस्त भुमि पर दिनांक 07.08.1963 से वाद मे अपना कब्जा काश्त होना बताया हैं। ना.सं. 456 के तहत वादी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नायब तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 26.12.1973 को स्वीकृत किया गया व वाद ग्रस्त भूमि को भुमिधारी तहसीलदार पाली ने ना.सं. 1476 दिनांक 14.09.1990 को निरस्त किया गया। जिसमें विरूद्ध वादी ने राजस्व अलील प्राधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के न्यायालय पे अपली सं. 15/91 पेश की गई थी। अलील सं. 15/91 को दिनांक 30.01.1993 को राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर मे वादी के पक्ष में निर्णय किया जो पत्रावली में संलग्न है। इस संबंध मे पटवारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.09.2008 को पेश की गई थी व वादी ने प्रशाषन गावो के द्वारा शिविर मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। वर्तमान राजस्व रेकर्ड संवत् 2064–2067 के गिरधावरी के खं. सं. 462/1729 सिवाय चक है। व संवत् 2064,65,66,67 मे भुमि पड़त है।

4. वाद में निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया तहसील पाली के सरहद मौजा डेण्डा के खसरा नम्बर 462 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी कृषि भूमि की खातेदारी उद्घोषणा पाने का वादी अधिकारी है?– (जिम्मे वादी)
2. आया प्रतिवादी के विरूद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है? – (जिम्मे वादी)
3. आया वादग्रस्त भूमि तहसील पाली के सरहद मौजा डेण्डा के खसरा नम्बर 462 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज होने से वादी उक्त आराजी के खातेदार अधिकारर प्राप्त करने का अधिकारी नही है?– (वादी)
4. आया धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधानो की पालना नही करने से वादी का यह वादी पोषणीय नही है? (जिम्मे प्रतिवादी)

5. वकील वादी द्वारा माननीय अपील प्राधिकारी (द्वितीय जोधपुर) दिनांक 30.01.93 को निर्णीत प्रमाणित प्रतिलिपि, मुकदमा संख्या 595/81 अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनवान दलसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिलाधीश,पाली प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम डेण्डा तहसील पाली में स्थित खसरा नम्बर 462 की 15 बीघा भूमि का आवंटन अपीलान्ट के नाम भूमि आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु अतिरिक्त जिलाधीश, पाली के समक्ष 14(4) राजस्थान भू

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन, नियम 1970 के तहत दरख्वास्त पेश की गई। जिसे स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के नाम किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। जिस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट हमारे समक्ष अपील में आये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत 1986 आर.आर.डी. पृष्ठ 9, 1988 आर. आर.डी. पृष्ठ 733 तथा 563 एवं 1987 आर.आर.डी. पृष्ठ 192 की नजीरों का अध्ययन किया। माननीय राजस्व मण्डल ने इन नजीरों मे यह प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता जहॉ कोई आवंटन बिल्कुल ही शुन्य हो तो खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में आवंटन आदेश मूल रूप से शून्य नहीं है तथा आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने के कारण अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार स्वयं तहसीलदार द्वारा दिये गये है एवं इतने लम्बे समय बाद उक्त आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणाम स्वरूप, अपीलान्ट की वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है।

6. वाद में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वादी पक्ष की शहादत में रखी गई।

7. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

8. विद्वान अभिभाषक वादी ने निवेदन किया कि ग्राम डेण्डा तहसील पाली के खसरा नम्बर 462 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी भुमी का भु–आवटन भुमिधारी तहसीलदार पाली ने वादी के पक्ष मे तारीख 07.05.1963 को किया है तब से बतौर ऐलाटी वादी काबिज है एवं इसका उपयोग व उपभोग बतौर आवंटी वादी कर रहा है तथा आज भी वादी इस भुमि पर काबिज है व काश्त कर रहा है वादग्रस्त कृषि भुमि को भुमिधारी तहसीलदार ने निरस्त कराने का आवेदन अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहा पेश किया था जो गलत तौर परिवादी का आवंटन तारीख 08.02.1982 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी द्वितीय जोधपुर के द्वारा अपील की जो अपील संख्या 15/91 दर्ज होकर तारीख 30.01.1993 को निर्णित हुई। जिसमे यह सवाल स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख किया गया है कि आवंटन आदेश मूल रूप से शुन्य नही है तथा आवटंन के पश्चात अपीलांट (वादी) द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने के कारण अपीलांट को खातेदारी अधिकार स्वयं तहसीलदार द्वार दिये गये है एवं इतने लम्बे समय बाद उक्त आवंटन को पेश करना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। यह कहते हुये अपीलांट की अपील स्वीकार की ओर अपीलध्नि आदेश निरस्त किया ऐसी सुरत मे वादी अपीलांट की खातेदारी रेकर्ड मे दर्ज नहीं करने का प्रतिवादी तहसीलदार के पास कोई आधार नहीं है।

जिस पर वादी प्रतिवादी के विरूद्ध मामले की आवश्यक एवं आकस्मिक परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुये बिना नोटिस दिये धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध दावा पेश करने का अलग से आवेदन किया गया है। वाद का करण बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के तब पैदा हुआ जब वादग्रस्त भुमि का भु आवंटन वादी के पक्ष मे वादी 7.05.63 को करके कब्जा वादी को सौपा तथा तारीख 30.01.93 को राजस्व अपील अधिकारी ने विधिवत वादी के आवंटन को कायम रखा है इसके उपरान्त भी वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी ने बतौर खातेदार कृषक के तौर पर नाम वादी का दर्ज नहीं किया। ग्राम डेण्डा तहसील पाली के खसरा नम्बर 462 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी की कृषि भुमि वादी के नाम खातेदारी कृषक दर्ज करने की उद्घोषणा करावे तथा सिवाय चक कृषक के तौर पर राजस्व अभिलेख मे प्रविष्ठ करने की डिक्री प्रदान करावें तथा अन्य अनुतोष उचित वादी को प्रदान करायें।

सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि माननीय अपील प्राधिकारी (द्वितीय जोधपुर) दिनांक 30.01.93 के आदेश की पालना नही हुई है। अभी तक क्यो नहीं हुई है इसके बारे मे कुछ नहीं कह सकता हुँ तथा यह स्वीकार करता हुँ कि माननीय अपील प्राधिकारी (द्वितीय जोधपुर) दिनांक 30.01.93 का आदेश सही था।

9. बहस उभय पक्ष को सुननने तथा पत्रावली पर उलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर माननीय अपील प्राधिकारी (द्वितीय जोधपुर) निर्णय दिनांक

Scanned by CamScanner

30.01.93 को मुकदमा संख्या 595/81 अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनवान दलसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिलाधीश,पाली में निर्णय दिया गया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। जहॉ कोई आवंटन बिल्कुल ही शुन्य हो तो खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में आवंटन आदेश मूल रूप से शून्य नहीं है तथा आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने के कारण अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार स्वयं तहसीलदार द्वारा दिये गये है एवं इतने लम्बे समय बाद उक्त आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणाम स्वरूप, अपीलान्ट की वर्तमान अपील स्वीकार की गई। तथा सरकारी पैरोकार ने भी बहस के द्वौरान स्वीकार किया कि उक्त आदेश सही था।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार स्वयं तहसीलदार द्वारा दिये गये है एवं इतने लम्बे समय बाद उक्त खातेदारी को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी सरहद मौजा ग्राम डेण्डा के खसरा नम्बर 462 रकबा 15.00 बीघा किस्म बारानी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड मे वादी को बतौर खातेदार दर्ज कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करे। डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय डिक्री परचा की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को प्रेषित की जावें। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

# डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

( ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी )

( Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली
इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या 13 सन् 2018
अंतर्गत धारा 88,92ए,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

**वादीः–**

**बनाम प्रतिवादीगणः–**

1. श्री दलपसिंह पुत्र श्री छतरसिंह जाति राजपुत, निवासी मण्डली खुर्द तहसील पाली जिला पाली (राज.)

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व ओम प्रकाश दाधिच नायब तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88,92,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिकी इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी सरहद मौजा ग्राम डेण्डा के खसरा नम्बर 462 रकबा 15.00 बीघा किस्म बारानी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार पाली निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड मे वादी को बतौर खातेदार दर्ज कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करें।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत.............................
ओहदा सहायक कलेक्टर पाली (राज.)

मुहर

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | स्टाम्प वकालतनामा | – | – |
| स्टाम्प अर्जीनामा | – | – | स्टाम्प हाजरी | – | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | – | – | मेहनताना वकील पर | – | – |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | – | खर्चा गवाहान | – | – |
| मेहनताना वकील | – | – | फीस कमिश्नर | – | – |
| खर्चा गवाहान | – | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – | – |
| फीस कमिश्नर | – | – | मुतफरिक | – | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | – | – | | |
| मुतफरिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner